

943/रा०प०/दि.24-05-2016

50M

157

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-1

सख्या- 181 / XVIII(1)/2016-02(6)/2015

देहरादून: दिनांक: 23 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001 की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और पूर्व में इस निमित्त जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जिला पिथौरागढ़ में "पांखू" मुख्यालय के साथ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्रामों से मिलकर "पांखू" ज्ञात नाम से एक नई उप तहसील सृजित करने और विद्यमान तहसील बेरीनाग की सीमा से उक्त ग्रामों को पृथक करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसने उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची


नवसृजित उप तहसील पांखू में सम्मिलित तहसील बेरीनाग के ग्रामों की सूची

क्र०सं०	ग्राम का नाम	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)/लेखपाल क्षेत्र का नाम
1	पांखूसेरा	3 पांखू
2.	वोडयूडा	
3.	डाडल	
4.	दन्तोला	
5.	तुसरेडा	
6.	दशौली	
7.	डोणू	
8.	लछिमा	
9.	संगौड़	संगौड़
10.	बौगाड	
11.	बन्तोली	
12.	नायल	
13.	बसेत	
14.	खण्डार	
15.	बोकालकटिया	
16.	मेरला	

१५

- | | | |
|-----|-----------------|------------|
| 18. | मटखानी | |
| 19. | मंगरौखाल | |
| 20. | गिवाईपानी | |
| 21. | इकूरौला | |
| 22. | चक्कर गांव | चक्कर गांव |
| 23. | जूनिया | |
| 24. | जालीखॉन | |
| 25. | लखरकोट | |
| 26. | बज्रखोड़ा | |
| 27. | कफलगांव | |
| 28. | गुमटी | गुमटी |
| 29. | नौगांव | |
| 30. | नैल | |
| 31. | चिचौन | |
| 32. | ऐराड़ी बिष्ट | |
| 33. | ढैयाकिचार | |
| 34. | गाड़ाखेत | |
| 35. | कुसियाचौन तल्ला | |
| 36. | कुसियाचौन मल्ला | |
| 37. | रामसिंह किचार | |


आज्ञा से,


(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव

संख्या- — / XVIII(1)/2016 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियां राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,


(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव